न्यायालय – विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)/अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी : अनीता सिंह)

–: : आदेश : :–

(अंतर्गत धारा 255 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

(आज दिनांक 13 अगस्त, 2025 को पारित)

रजिस्ट्रेशन नंबर –	**एस.टी./581/2023**
फाईलिंग नंबर –	**एस.टी./30372/2023**
सी.एन.आर. नंबर –	**एम.पी.0901–038578–2023**
रजिस्ट्रेशन दिनांक –	**08.09.2023**

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य, थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र गांधी नगर, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जयंत दुबे, अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्त	(1) अंकित सेन पिता जगदीश सेन, आयु 27 वर्ष, व्यवसाय – नाई, निवासी – 118–बी, समर्थ ड्रीम सिटी, इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री विकास यादव
अभियुक्त	(2) विकास सिसौदिया पिता राजेश सिसौदिया, आयु 24 वर्ष, व्यवसाय – नाई, निवासी – 428–बी, समर्थ ड्रीम सिटी, इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री मनोज गुप्ता

आरक्षी केन्द्र गांधी नगर जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 211/2023 में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर (सुश्री मीनाक्षी शर्मा) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी. /5285/2023 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 04.09.2023 से उद्भुत सत्र प्रकरण

01— अभियुक्त विकास के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1), 506 भाग—दो तथा अभियुक्त अंकित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498—ए, 376 सहपठित धारा 109, 323 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप हैं कि अभियुक्त विकास द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' से दिनांक 30.05.2023 को उसकी सम्मति के बिना अथवा इच्छा के विरुद्ध जिला इंदौर स्थित पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के निवास गृह में बलात्संग किया गया और अभियुक्त अंकित द्वारा उक्त बलात्संग के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त अंकित पर यह भी आरोप हैं कि उसके द्वारा दिनांक 13.04.2019 को पीड़ित अभियोक्त्री 'क' से हुए अपने विवाह के उपरांत से दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के प्रति स्वेच्छया उपहति कर उसके प्रति कुरता कारित की गयी।

02— मामले की पीड़ित अभियोक्त्री की पहचान को निवारित करने हेतु उसकी पहचान का खुलासा करने वाले तथ्यों की मास्किंग की गई है एवं अभियोक्त्री को काल्पनिक नाम **'क'** से संबोधित किया जा रहा है।

03–क अभियोजन मामले के अनुसार पीड़ित अभियोक्त्री 'क' का विवाह दिनांक 13.04.2019 को अभियुक्त अंकित के साथ सम्पन्न हुआ और उक्त विवाह से उन्हें पुत्र संतान की उत्पत्ति हुई। विवाह के उपरांत से ही अभियुक्त अंकित दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी पीड़ित अभियोक्त्री 'क' की मारपीट करता था और जुआ एवं शराब की लत के कारण खर्च हेतु भी पैसे मांगता था। अभियुक्त अंकित द्वारा अपनी पत्नी पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के चरित्र पर शंका की जाती थी और वह अपनी पत्नी को अभियुक्त विकास के साथ अनैतिक संबंध होने का लांछन लगाता था। दिनांक 30.05.2023 को जब अभियोक्त्री क घर पर अकेली थी तब उसके पति अभियुक्त अंकित ने उसके साथ मारपीट कर अभियुक्त विकास के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु कहा। अभियोक्त्री क द्वारा इंकार किए जाने पर अभियुक्त अभियुक्त अंकित ने अपने घर पर अभियुक्त विकास को जबरदस्ती बुलाया। फिर अभियुक्त विकास के द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' से उसकी सम्मति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित किए गए और उक्त कृत्य का अभियुक्त अंकित द्वारा वीडियो बनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' को घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी और फिर वे शराब पीने चले गए। अभियुक्तगण की धमकी के कारण अभियोक्त्री क डर गयी थी। फिर तीसरे दिवस उसने उक्त तथ्यों की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों द्वारा उसे रिपोर्ट करने की सलाह दिए जाने पर दिनांक 15.06.2023 को आरक्षी केन्द्र गांधी नगर में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करायी। जिसके आधार पर अभियुक्तगण अंकित एवं विकास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 211/2023 अंतर्गत धारा 498–ए, 376–डी, 323, 506, 34 भा.दं.सं. का मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और मामले को विवेचना में

लिया गया।

03–ख विवेचना के दौरान दिनांक 15.06.2023 को अभियोक्त्री 'क' का पी. सी.सेठी अस्पताल इंदौर में मेडिकल परीक्षण किए जाने हेतु आवेदन पत्र तैयार किया गया तथा उक्त आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग पर अभियोक्त्री 'क' की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 प्राप्त की गयी। दिनांक 16.06.2023 को पी.सी. सेठी अस्पताल इंदौर से अभियोक्त्री 'क' के प्रदर्शों का सीलबंद पैकेट प्राप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री 'क' की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री 'क' के दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत कथन प्रदर्श पी–5 लेखबद्ध किए गए। उक्त दिनांक को अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। उक्त दिनांक को अभियुक्त अंकित के आधिपत्य से मोबाइल जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। दिनांक 24.06.2023 को अभियोक्त्री 'क' के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत कथन प्रदर्श पी–3 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में लेखबद्ध किए गए। दिनांक 28.07.2023 को अभियुक्त विकास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। उक्त दिनांक को अभियुक्त विकास को जिला अस्पताल इंदौर में मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु आवेदन पत्र तैयार किया गया तथा उक्त पत्र के पृष्ठ भाग पर अभियुक्त विकास की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उक्त दिनांक को अभियुक्त विकास के मेडिकल परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रदर्शों के सीलबंद पैकेट को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। दिनांक 04.08.2023 को अभियोक्त्री 'क' एवं अभियुक्त विकास के प्रदर्शों के क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में परीक्षण करने के संबंध में

ड्राफ्ट तैयार किया गया। उक्त दिनांक को अभियुक्त विकास से जप्तशुदा मोबाइल का राज्य सायबर फारेंसिक प्रयोगशाला भोपाल में परीक्षण करने के संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसे भेजे जाने पर वहां से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 में अभियोक्त्री क के प्रदर्श पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाया जाना प्रतिवेदित हुआ। दिनांक 11.08.2023 को मामले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया गया।

03–ग अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 227/2023 अंतर्गत धारा 498–ए, 376–डी, 323, 506, 34 भा.दं.सं. दिनांक 10.08.2023 को तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर के न्यायालय में दिनांक 16.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। जहां पंजीबद्ध हुए दांडिक प्रकरण क्रमांक 5285/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के द्वारा यह मामला सेशन न्यायालय, इंदौर को कमिट किया गया।

04– अभियुक्त अंकित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए, 376 सहपठित धारा 109, 323, 506 भाग–दो तथा अभियुक्त विकास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1), 506 भाग–दो के अंतर्गत विरचित किए गए आरोपों के संबंध में विचारण का दावा किए जाने पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

05– अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु मात्र पीड़ित अभियोक्त्री 'क' (असा–1) के कथन कराये गये हैं। अभियोक्त्री 'क'

(असा–1) के अनुसार उसका विवाह अभियुक्त अंकित से दिनांक 13.04.2019 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था और उक्त विवाह से उन्हें एक पुत्र संतान भी उत्पन हुआ। सह–अभियुक्त विकास उसके पति का मित्र होने और उससे पारिवारिक संबंध होने के कारण उनके घर पर आता–जाता रहता था। अभियुक्त विकास से अभियोक्त्री क की भी बातचीत होती रहती थी। दो वर्ष पूर्व दोपहर के समय अभियुक्त विकास अभियोक्त्री क के पति अभियुक्त अंकित की उपस्थिति में उसके घर पर मिलने आया और विकास एवं अंकित के द्वारा अभियोक्त्री क से उसके परिजनों के संबंध में उल्टी–सीधी बातें कही गयी। अभियोक्त्री क द्वारा उक्त तथ्य का विरोध किए जाने पर अभियुक्तगण से मौखिक वाद विवाद हुआ। जिसके उपरांत अभियोक्त्री 'क' ने उक्त विवाद के संबंध में अपने मायके वालों को खबर दी गयी जिनके द्वारा उसे आरक्षी केन्द्र गांधी नगर में रिपोर्ट करने की सलाह दी गयी। फिर अभियोक्त्री क द्वारा अपने आस–पड़ौस के लोगों के साथ जाकर अभियुक्तगण के संबंध में मौखिक वाद विवाद किए जाने की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी। अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ कोई अप्रिय घटना कारित नहीं की है और वर्तमान में वह अपने पति अभियुक्त अंकित के साथ ही निवास करती है।

06– यह अभियोक्त्री 'क' (असा–1) के मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका प्रदर्श पी–2, न्यायालयीन कथन प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य स्वीकार करते हुए अभियोजन के समस्त तथ्यों से इंकार करती है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले सूचक प्रश्नों के माध्यम से दिए गए सुझाव के उत्तर में भी अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य नहीं आये है। अभियोक्त्री 'क' द्वारा उक्त संदर्भ में यह

तथ्य भी बताए गए कि वह मात्र कक्षा आठवीं तक पढ़ीलिखी है और पुलिस के कहे अनुसार उक्त दस्तावेजों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

07— इस अभियोक्त्री 'क' (असा—1) के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराये गये कथन अंतर्गत धारा 164 दं.प्र. सं. प्रदर्श पी—3 मौलिक साक्ष्य नहीं है। उनकी स्थिति पूर्वतन कथन के रूप में ही है। अभियोक्त्री 'क' द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किये जाने से उक्त प्रदर्श पी—3 के कथन तात्विक नहीं रह जाते हैं। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर के द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी—6 में अभियोक्त्री 'क' के प्रदर्श ए1 स्लाईड पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाया जाना प्रतिवेदित हुआ है। मामले में पीड़ित अभियोक्त्री 'क' द्वारा दी गयी उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रदर्श पी—6 के परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि पीड़ित अभियोक्त्री 'क' एवं अभियुक्त विकास के मध्य आपसी सम्मति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए अथवा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के साथ बलात्संग की कोई घटना कारित नहीं हुई है।

08— अभियोक्त्री 'क' (असा.1) की साक्ष्य एवं उसके द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किये जाने से अभिलेख पर अभियुक्तगण अंकित एवं विकास के विरूद्ध विधिक साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। अतः विधिक साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य अप्रमाणित रहते है कि अभियुक्त विकास द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' से दिनांक 30.05.2023 को उसकी सम्मति के बिना अथवा इच्छा के विरुद्ध जिला इंदौर स्थित पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के निवास गृह में बलात्संग किया गया और अभियुक्त अंकित द्वारा उक्त बलात्संग के अपराध का दुष्प्रेरण

किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित अभियोक्त्री 'क' को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त अंकित पर यह भी आरोप हैं कि उसके द्वारा दिनांक 13.04.2019 को पीड़ित अभियोक्त्री 'क' से हुए अपने विवाह के उपरांत से दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी पीड़ित अभियोक्त्री 'क' के प्रति स्वेच्छया उपहति कर उसके प्रति क्रुरता कारित की गयी। परिणामतः अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अंकित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए, 376 सहपठित धारा 109, 323, 506 भाग–दो तथा अभियुक्त विकास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1), 506 भाग–दो के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

09– अभियुक्तगण को बी.एन.एस.एस. की धारा 481 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हेतु जमानत प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अभियुक्तगण के संदर्भ में बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

10– प्रकरण में अभियोक्त्री 'क' से जप्तशुदा सम्पत्ति प्यूबिक हेयर, सरवाईकल/वेजाइनल स्लाईड, अंडरवियर एवं सील नमूना तथा अभियुक्त से जप्तुशदा संपत्ति सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर एवं सील नमूना मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त अंकित से जप्तशुदा संपत्ति ओपो कंपनी का मोबाइल आरक्षी केन्द्र गांधी नगर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त मोबाइल आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उसकी वापसी के संबंध में पृथक से आदेश किया जाएगा। यदि अपील

हो तो अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

11— आदेश की एक प्रति धारा 365 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट इंदौर को प्रेषित की जाए।

आदेश खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
उद्घोषित किया।

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

ANITA SINGH
Digitally signed by ANITA SINGH
Date: 2025.08.13 18:28:26 +0530